संख्या-15/2015/312/चालीस-2015-बजट(4)/15

प्रेषक,

अशोक कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 09 अप्रैल, 2015

विषय: प्रदेश में नवम्बर माह, 2015 के तृतीय सप्ताह में मनाये जाने वाले "कौमी एकता सप्ताह" के आयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह के तृतीय सप्ताह में "कौमी एकता सप्ताह" का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। पूर्व की भांति इस वर्ष भी "कौमी एकता सप्ताह" का आयोजन प्रस्तावित है। अत: राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में "कौमी एकता सप्ताह" के आयोजनार्थ जिला स्तर के कार्यक्रमों में व्यय हेतु प्रदेश के 75 जनपदों के लिये कुल रू0 3,75,000/- (रूपये तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि प्रत्येक जनपद को 5,000/- (रूपये पाचें हजार मात्र) की दर से प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने/व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। "कौमी एकता सप्ताह" के आयोजन से सम्बन्धित कार्यक्रम की रूपरेखा कृपया बना ली जाए। यथासमय तिथिवार कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश से आपको अवगत कराया जायेगा।

2- आवंटित धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये। प्रत्येक आहरण की डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही, व्यय का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31-12-2015 से पूर्व शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करने के पश्चात् आंकडों का मिलान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से कराकर उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति शासन को 31-01-2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-07- कौमी एकता सप्ताह के आयोजन पर व्यय-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- ये आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
सचिव।

संख्या-15/2015/312/(1)चालीस-2015-बजट(4)/15 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (नोडल अधिकारी)।
(3) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(5) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
(8) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

(राम लखन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।